भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 26

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में टैंकों का पुनरूद्धार

26. श्री मारगनी भरत:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सरकार को 9,200 टैंकों को पुनर्बहाल करने और 600 सिंचाई चैनलों की मरम्मत करने तथा 3,250 चेक डैमों के निर्माण, जिसमें कुल 2,100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय शामिल है, के संबंध में अपने हालिया निर्णय के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के पुनरूद्धार के लिए किए जा रहे/प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, यह संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता, आदि के अनुसार टैंकों की बहाली, सिंचाई चैनलों की मरम्मत और चेक डैम का निर्माण आदि सहित जल संसाधन परियोजनाओं को शुरू करें। हालांकि, भारत सरकार चिन्हित परियोजनाओं के लिए अपनी चल रही योजनाओं के तहत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुछ योजनाएँ जिनके अंतर्गत टैंकों के जीर्णोद्धार, सिंचाई नालियों की मरम्मत और चेक डैम के निर्माण के लिए चिन्हित परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता दी जा रही है, नीचे दी गई हैं:

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत, भारत सरकार बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण (ईआरएम) के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर

रही है। ऐसी परियोजनाओं के तहत कार्य के दायरे में सिंचाई चैनलों की मरम्मत भी शामिल हो सकती है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी योजना के जल निकायों के घटक की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) के तहत चिन्हित जल निकायों और टैंकों की मरम्मत/नवीकरण/पुनर्स्थापना के लिए राज्य सरकारों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

3. भारत सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत चेक-डैम और अन्य जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

4. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के वार्षिक अभियानों के तहत केंद्रित कार्यकलपों में अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण, गणना, भू-टैगिंग और सभी जल निकायों की सूची बनाना और टैंकों/झीलों के अतिक्रमण को हटाना और टैंकों से गाद निकालना शामिल है।

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं से संबंधित सार्वजनिक कार्यों के लिए सार्वजनिक भवनों में भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे प्रावधान हैं, ताकि भूजल को बढ़ाया और सुधारा जा सके।

(घ): 2016 में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं में ईआरएम कार्य शामिल हैं। इनमें मनियारी टैंक परियोजना और खारुंग परियोजना, छत्तीसगढ़; मुख्य रावी नहर, जम्मू-कश्मीर का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण; नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट, कर्नाटक; आनंदपुर बैराज चरण- I / एकीकृत आनंदपुर बैराज परियोजना, ओडिशा; प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना (पंजाब) का पुनर्वास; और गंग नहर (राजस्थान) का आधुनिकीकरण शामिल हैं। इनमें से आनंदपुर बैराज फेज-1/एकीकृत आनंदपुर बैराज परियोजना को छोड़कर सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।

इसके बाद 2021 में पीएमकेएसवाई 2.0 के अनुमोदन के साथ, अन्य दो ईआरएम परियोजनाओं, सुक्ला सिंचाई परियोजना (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, असम) के ईआरएम और लोकतक लिफ्ट सिंचाई परियोजना (चरण- I), मणिपुर के ईआरएम को पीएमकेएसवाई-

एआईबीपी के तहत वित्तीय सहायता हेतु शामिल किया गया है। दोनों परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

वर्तमान में, इस मंत्रालय में आंध्र प्रदेश राज्य से परियोजना विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****